मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 11 –37/05/1/9 भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर, 2005

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश ।

विषयः–सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन ।

संदर्भः–इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 10 अक्टूबर, 2005

--

दिनांक 13.10.2005 को मुख्य सचिव द्वारा इस विषय पर ली गई बैठक का कृपया स्मरण करें । बैठक में कतिपय विभागों की ओर से मांग की गई कि अधिनियम की धारा (7) की उप–धारा (5) के तहत किसी व्यक्ति को सूचना उपलब्ध कराने के लिए ए–3/ए–4 के कागज का प्रति पृष्ठ मूल्य निर्धारित किया जाए । तद्नुसार एतद् द्वारा ए–3 एवं ए–4 कागज की फोटो कापी कराकर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रति पृष्ठ दो रूपये की दर तय की जाती है । इससे अधिक बड़े कागज की फोटो कापी लेने पर उसका वास्तविक मूल्य जैसा कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियत किया जावें, सम्बन्धित आवेदक से वसूल किया जाये ।

2. इसके साथ यह स्पष्ट किया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा (7) की उप–धारा (5) के तहत फ्लापी/डिस्केट में जानकारी हेतु 50 रूपये प्रति डिस्केट / फ्लापी आवेदक से वसूल की जावे ।

3. कई विभागों द्वारा मुद्रित रिपोर्ट एवं अन्य सामग्री जानकारी प्रकाशित की जाती है, ऐसे प्रकाशन के मूल्य विभाग द्वारा पूर्व से ही निर्धारित किये जायें तथा आवेदक से तद्नुसार मूल्य वसूल किये जायें । जिन प्रकाशनों का पूर्व से ही मूल्य निर्धारित है उनके लिए आवेदक से निर्धारित मूल्य वसूल किया जायें । ऐसे प्रकाशन से उद्धरण की प्राप्ति हेतु जो ए–3 / ए–4 साइज के पेपर पर

उपलब्ध करानी हो तो प्रति पृष्ठ पैरा 1 के अनुसार 2 रूपये प्रति पृष्ठ आवेदक से वसूल किये जायें ।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (2)की उप–धारा एच के तहत

(i) body owned, controlled or substantially financed;

(ii) non-Government organistion substantially financed शब्द के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाती है कि उपरोक्त से तात्पर्य ऐसे निकाय/ गैर सरकारी संस्थान से है जिसका प्रतिवर्ष वास्तविक टर्न ओवर का पचास प्रतिशत या रूपये पचास हजार जो भी कम हो, शासन या उसकी किसी संस्था से अनुदान के रूप में वित्तीय रूप से पोषित है । अतः ऐसे समस्त निकाय / गैर सरकारी संस्थाओं को जिन्हें आपके विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है, जिसकी राशि रूपये पचास हजार या उनके ‘‘टर्न ओवर’’ का 50 प्रतिशत (इसमें से जो कभी कम हो) के बराबर है, ऐसे निकाय / संस्थान भी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की परिधि में आयेंगे एवं इस अधिनियम के तहत जानकारी मांगे जाने पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगे ।

हस्ता/–
(खुशीराम)
प्रमुख सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग